

न्यायालय:-सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 54 / 2014

संस्थित दिनांक-05.11.2012

फाइलिंग नं-230303002672012

1. श्रीमती सुखदेवी उर्फ सूखी पत्नी स्व0 बलवंत  
कुशवाह आयु 35 साल व्यवसाय गृहकार्य  
2. कु0 पूजा कुशवाह पुत्र स्व0 बलवंतसिंह कुशवाह  
आयु 16 साल व्यवसाय गृहकार्य  
आवेदक क्रमांक-2 अवयस्क द्वारा सरपरस्ती माँ  
श्रीमती सुखदेवी निवासीगण ग्राम व पोस्ट अमायन  
थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदकगण

वि रू द्ध

1. मनोज कुमार जाटव पुत्र हरगोविन्द जाटव  
निवासी ग्राम अमायन अडोखर रोड बस स्टेण्ड  
के पास थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0  
(ड्रायवर मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन चालक

2. वीरसिंह पुत्र भोगीराम निवासी वार्ड नंबर-11  
ग्राम निवारी देवीपुर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
(मालिक- मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन मालिक

3. चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इंश्योरेंस कंपनी  
लिमिटेड द्वारा- डिवीजनल मैनेजर मण्डल कार्यालय  
एच-102/बी-फस्ट फ्लोर मेट्रो टॉवर स्कीम नंबर-54,  
विजय नगर ए0बी0रोड इन्दौर म0प्र0

.....बीमा कंपनी

..... अनावेदकगण

क्लेम प्रकरण क्रमांक-11 / 2014

संस्थित दिनांक-05.11.12

फाइलिंग नंबर-230303000242012

1. श्रीमती सुखदेवी उर्फ सूखी पत्नी स्व0  
बलवंत कुशवाह आयु 35 साल  
व्यवसाय गृहकार्य  
2. रवि कुशवाह पुत्र स्व0 बलवंत सिंह  
कुशवाह आयु 17 साल व्यवसाय-अध्ययनरत  
3. कु0 पूजा कुशवाह पुत्र स्व0बलवंतसिंह कुशवाह  
आयु 16 साल व्यवसाय गृहकार्य  
आवेदक क्रमांक-2 व 3 अवयस्क द्वारा-सरपरस्ती  
माँ श्रीमती सुखदेवी निवासीगण ग्राम व पोस्ट अमायन  
थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदकगण

ब ना म

1. मनोज कुमार जाटव पुत्र हरगोविन्द जाटव  
निवासी ग्राम अमायन अड़ोखर रोड बस स्टेण्ड  
के पास थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0  
(ड्रायवर मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन चालक

2. वीरसिंह पुत्र भोगीराम निवासी वार्ड नंबर-11  
ग्राम निवारी देवीपुर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
(मालिक- मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन मालिक

3. चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इंश्योरेंस कंपनी  
लिमिटेड द्वारा- डिवीजनल मैनेजर मण्डल कार्यालय  
एच-102/बी-फ़्लोर मेट्रो टॉवर स्कीम नंबर-54,  
विजय नगर ए0बी0रोड इन्दौर म0प्र0

.....बीमा कंपनी

..... अनावेदकगण

**क्लेम प्रकरण क्रमांक: 08 / 2014**

संस्थित दिनांक-05.11.2012

फाइलिंग नं-230303000372012

1. धर्मेन्द्र कुशवाह पुत्र हरनाम कुशवाह  
आयु 30 साल व्यवसाय मकान बनाने की  
कारीगरी निवासी ग्राम व पोस्ट अमायन  
थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

वि रु द्ध

1. मनोज कुमार जाटव पुत्र हरगोविन्द जाटव  
निवासी ग्राम अमायन अड़ोखर रोड बस स्टेण्ड  
के पास थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0  
(ड्रायवर मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन चालक

2. वीरसिंह पुत्र भोगीराम निवासी वार्ड नंबर-11  
ग्राम निवारी देवीपुर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
(मालिक- मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन मालिक

3. चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इंश्योरेंस कंपनी  
लिमिटेड द्वारा- डिवीजनल मैनेजर मण्डल कार्यालय  
एच-102/बी-फ़्लोर मेट्रो टॉवर स्कीम नंबर-54,  
विजय नगर ए0बी0रोड इन्दौर म0प्र0

.....बीमा कंपनी

..... अनावेदकगण

**क्लेम प्रकरण क्रमांक: 10 / 2014**

संस्थित दिनांक-05.11.2012

फाइलिंग नं-230303000282012

1. फूलसिंह पुत्र जंजाली सिंह आयु 50 साल  
व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम व पोस्ट अमायन  
थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

**वि रू द्ध**

1. मनोज कुमार जाटव पुत्र हरगोविन्द जाटव  
निवासी ग्राम अमायन अड़ोखर रोड बस स्टेण्ड  
के पास थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0  
(झायवर मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन चालक

2. वीरसिंह पुत्र भोगीराम निवासी वार्ड नंबर-11  
ग्राम निवारी देवीपुर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
(मालिक- मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन मालिक

3. चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इंश्योरेंस कंपनी  
लिमिटेड द्वारा- डिवीजनल मैनेजर मण्डल कार्यालय  
एच-102/बी-फस्ट फ्लोर मेट्रो टॉवर स्कीम नंबर-54,  
विजय नगर ए0बी0रोड़ इन्दौर म0प्र0

.....बीमा कंपनी

.....अनावेदकगण

**क्लेम प्रकरण क्रमांक: 09 / 2014**

संस्थित दिनांक-05.11.2012

फाइलिंग नं-230303000352012

1. श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 ज्ञानसिंह  
आयु 45 साल व्यवसाय गृहकार्य  
2. मनोज पुत्र स्व0 ज्ञानसिंह कुशवाह  
आयु 25 साल व्यवसाय मजदूरी  
3. अशोक पुत्र स्व0 ज्ञानसिंह (पैरों से विकलांग)  
आयु 19 साल व्यवसाय-कुछ नहीं।  
4. अनोज पुत्र स्व0 ज्ञानसिंह कुशवाह  
आयु 17 साल व्यवसाय विद्या अध्ययन  
आवेदक क्रमांक-4 अवयस्क द्वारा सरपस्ती माँ  
श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 ज्ञानसिंह निवासीगण  
ग्राम व पोस्ट अमायन थाना अमायन जिला  
भिण्ड म0प्र0

.....आवेदकगण

वि रू द्ध

1. मनोज कुमार जाटव पुत्र हरगोविन्द जाटव  
निवासी ग्राम अमायन अड़ोखर रोड बस स्टैण्ड  
के पास थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0  
(झायवर मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन चालक

2. वीरसिंह पुत्र भोगीराम निवासी वार्ड नंबर-11  
ग्राम निवारी देवीपुर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
(मालिक- मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633)

.....वाहन मालिक

3. चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इंश्योरेंस कंपनी  
लिमिटेड द्वारा- डिवीजनल मैनेजर मण्डल कार्यालय  
एच-102/बी-फर्स्ट फ्लोर मेट्रो टॉवर स्कीम नंबर-54,  
विजय नगर ए0बी0रोड इन्दौर म0प्र0

.....बीमा कंपनी

..... अनावेदकगण

---

उपरोक्त पांचों प्रकरणों में आवेदकगण द्वारा श्री सुनील कांकर एवं  
फूलसिंह कुशवाह अधिवक्ता ।  
अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता ।  
अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री राकेश चन्द्र गुप्ता अधिवक्ता ।

---

**-:- अधि-निर्णय -:-**

(आज दिनांक **12.02.2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. इस अधिनिर्णय के द्वारा आवेदकगण के मूल आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 का निराकरण किया जा रहा है जिसके माध्यम से दिनांक 16.03.12 को सुबह करीब नौ बजे मौ खेरिया लोक मार्ग पर 12 बीघा तिराहे पर वाहन टाटा-407 क्रमांक-एम0पी0-30जी-0633 के रास्ते में पलट जाने के फलस्वरूप हुई दुर्घटना में संतोष कुशवाह, बलवंतसिंह एवं ज्ञानसिंह की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके वारिसान द्वारा एवं गंभीर रूप से आहत हुए आहत फूलसिंह एवं धर्मेन्द्र के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि दिलाने एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।
2. उपरोक्त पांचों प्रकरणों में यह निर्विवादित तथ्य है कि दुर्घटनाकारी उक्त वाहन क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633 का अनावेदक क्र0-2 वीरसिंह वाहन स्वामी है तथा अनावेदक क्र0-1 के विरुद्ध उक्त दुर्घटना के संबंध में आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है जो वाहन का मालिक होकर अनावेदक क्र0-2 के नियोजन के अंतर्गत था। यह भी स्वीकृत है कि उक्त वाहन दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी के यहाँ माल वाहक के रूप में बीमित था।
3. **प्र0क्र0- 54 / 14** के आवेदकगण का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार

है कि दिनांक 16.03.12 की सुबह लगभग 9.50 बजे मृतक संतोष कुशवाह एवं गांव के अन्य लोग करहबाबा के मंदिर पर सेवा(भण्डारा) करके वापिस अपने गांव मिनिट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633 में भण्डारे का बचा हुआ सामान एवं अपना अपना सामान जिसमें शक्कर की बोरियों व नमक के कट्टे भी थे, रखकर उनकी सुरक्षा के लिये वाहन में बैठकर आ रहे थे। जिसे चालक के द्वारा 12 बीघा घटनास्थल ग्राम खेरिया के आगे मौ रोड़ पर तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया जिससे उसमें बैठे संतोष व अन्य छः लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। शेष सभी गंभीर रूपसे घायल हो गये और सामान भी गिरकर बेकार हो गया। जिसके संबंध में उदयसिंह द्वारा थाना मौ में रिपोर्ट लिखाये जाने पर अप0क0-55/12 धारा-279, 337 एवं 304 ए भादवि के अंतर्गत अपराध चालक/अनावेदक क0-1 मनोज के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। और उसे गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद में अभियोग पत्र पेश किया जाकर विचाराधीन है। मृतक संतोष आवेदक क्रमांक-1 का पुत्र और आवेदक क0-2 का भाई होकर 15 वर्षीय हृष्टपुष्ट स्वस्थ अत्यधिक मेहनती व्यक्ति था और मजदूरी का कार्य करके छः हजार रुपये मासिक आय अर्जित करता था। और संपूर्ण परिवार का भरणपोषण व जीवन निर्वाह करता और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता व व्यसनों से दूर था। उसकी मृत्यु से उसके परिवार पर गंभीर संकट आ गया और उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व पारिवारिक सभी प्रकार की क्षति आजीवन वहन करना होगी। इसलिये अनावेदकगण से सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये संयुक्ततः एवं पृथक्ततः 16,90,000/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि एवं उस पर आवेदन दिनांक से पूर्ण अदायगी तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

4. **प्र0क0-11/14** के आवेदकगण के आवेदन के सार अनुसार उपरोक्तानुसार घटना घटित होने के साथ साथ यह भी व्यक्त किया है कि घटना में मृत हुआ मृतक बलवंत आवेदक क्रमांक-1 का पति और आवेदक क0-2 व 3 का पिता होकर 40 वर्षीय हृष्टपुष्ट स्वस्थ अत्यधिक मेहनती व्यक्ति था और कारीगरी का कार्य करके नौ हजार रुपये मासिक आय अर्जित करता था। और संपूर्ण परिवार का भरणपोषण व जीवन निर्वाह करता था और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। वह व्यसनों से दूर था। उसकी मृत्यु से उसके परिवार पर गंभीर संकट आ गया और आवेदक क्रमांक-1 को पति सुख से वंचित होना पड़ा एवं अनावेदक क्रमांक-1 व 2 को अपने पिता सुख से वंचित होना पड़ा है साथ उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व पारिवारिक सभी प्रकार की क्षति आजीवन वहन करना होगी। इसलिये अनावेदकगण से सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये संयुक्ततः एवं पृथक्ततः 19,70,000/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि एवं उस पर आवेदन दिनांक से पूर्ण अदायगी तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

5. इसी प्रकार **प्र0क0-08/14** के आवेदकगण के आवेदन के सार अनुसार उपरोक्तानुसार घटना घटित होने के साथ साथ यह भी व्यक्त किया है कि आहत धर्मेन्द्र कुशवाह मकान बनाने की कारीगरी कर प्रतिमाह 9000/-रुपये कमाता था और संपूर्ण परिवार का भरणपोषण व जीवन निर्वाह करता था और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। दुर्घटना के कारण उसके दाहिने हाथ के पंजे मेके उपर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया व उपर के दो दांत टूट गये। व अन्य जगह शरीर में चोटें आईं। जिस कारण आवेदक को शारीरिक, मानसिक,



आर्थिक व पारिवारिक सभी प्रकार की क्षति आजीवन वहन करना होगी। इसलिये अनावेदकगण से समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये संयुक्ततः एवं पृथक्ततः 4,10,000/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि एवं उस पर आवेदन दिनांक से पूर्ण अदायगी तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

6. इसी प्रकार प्र0क0-10/14 के आवेदकगण के आवेदन के सार अनुसार उपरोक्तानुसार घटना घटित होने के साथ साथ यह भी व्यक्त किया है कि आहत फूलसिंह मजदूरी करके प्रतिमाह 6000/-रुपये कमाता था और संपूर्ण परिवार का भरणपोषण व जीवन निर्वाह करता था। दुर्घटना के कारण उसके दाहिने हाथ के पंजे के उपर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया व अन्य जगह शरीर में चोटें आईं। जिस कारण आवेदक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व पारिवारिक सभी प्रकार की क्षति आजीवन वहन करना होगी। इसलिये अनावेदकगण से समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये संयुक्ततः एवं पृथक्ततः 4,10,000/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि एवं उस पर आवेदन दिनांक से पूर्ण अदायगी तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाया जावे।
7. इसी प्रकार प्र0क0-09/14 के आवेदकगण के आवेदन के सार अनुसार उपरोक्तानुसार घटना घटित होने के साथ साथ यह भी व्यक्त किया है कि मृतक ज्ञानसिंह अनावेदक क्रमांक-1 का पति और अनावेदक क0-2, 3 एवं 4 का पिता होकर 48 वर्षीय हृष्टपुष्ट स्वस्थ अत्यधिक मेहनती व्यक्ति था और मकान बनाने की कारीगरी का कार्य करके नौ हजार रुपये मासिक आय अर्जित करता था। और संपूर्ण परिवार का भरणपोषण व जीवन निर्वाह करता था। उसकी मृत्यु से उसके परिवार पर गंभीर संकट आ गया और उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व पारिवारिक सभी प्रकार की क्षति आजीवन वहन करना होगी। इसलिये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्ततः 25,20,000/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि एवं उस पर आवेदन दिनांक से पूर्ण अदायगी तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।
8. अनावेदक क्रमांक-1 व 2 की ओर से उपरोक्त पांचों क्लेम याचिकाओं में संयुक्त तौर पर जवाब पृथक पृथक प्रस्तुत कर आवेदकगण के आवेदन पत्र मुताबिक अभिवचनों का खण्डन करते हुए उनके वाहन से या उनसे कोई भी दुर्घटना घटित करने से इन्कार करते हुए झूठी रिपोर्ट पर से आपराधिक मामला संचालित होना बताते हुए आवेदकगण उनसे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी न होने के अभिवचन करते हुए यह भी उल्लेख किया है कि उनका वाहन अनावेदक क्रमांक-3 के यहाँ बीमित था और विशेष आपत्ति लेते हुए यह भी लेख किया है कि दिनांक 16.03.12 को अनावेदक क0-1 कस्बा मौ से मै0 विजय ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर विजय कुमार जैन की 31 शक्कर की बोरियों तथा राजेन्द्र चौधरी निवासी मौ के 20 नमक के कट्टे भाड़े पर वाहन में भरकर मौ से अमायन जा रहा था तब घटनास्थल पर उनका वाहन पलट गया था जो सामान विजय कुमार ने सुपुर्दगी पर भी प्राप्त किया है। उनके वाहन में कोई सवारी नहीं बैठी थी इसलिये उनके विरुद्ध आवेदन निरस्त किया जावे।
9. अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी की ओर से उपरोक्त पांचों प्रकरणों में पृथक पृथक मूल आवेदन पत्रों का विरोध करते हुए आवेदकगण के अभिवचनों का खण्डन करते हुए यह लेख किया गया है कि धारा-166 मोटरयान अधिनियम 1988 के विधिक प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र प्रथम दृष्ट्या ही प्रचलन योग्य नहीं है और आवेदकगण और अनावेदक क्रमांक-1 व 2 की आपस में दुरभि संधि

है और उन्होंने झूठे व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध करा लिया है। तथा आवेदन पत्र के क्रमांक-1 लगायत 16 के बारे में जानकारी का अभाव बताते हुए दिनांक 16.03.12 की बताई गई घटना भी असत्य उल्लेख करते हुए विशेष आपत्तियों में यह अभिवचन किया गया है कि मिनि ट्रक टाटा 507 क्रमांक-एम0पी0-30जी-0633 से मृतक संतोष के साथ कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। न ही दुर्घटना में संतोष की मृत्यु होना प्रमाणित है और यही प्रमाणित पाया जाता है कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिये बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि अनावेदक क0-1 के द्वारा अनावेदक क0-2 की सहमति से वगैर वैध व प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स के चलाया जा रहा था। जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के प्रतिकूल उक्त वाहन में अवैध रूपसे वगैर फिटनेस व परमिट के 22 अन्य सवारियों को बैठाकर यात्रा कराई जा रही थी जबकि वाहन माल वाहक के रूप में बीमित था और बीमा कंपनी द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जोखिम कवर नहीं की गई थी न ही उन्होंने कोई प्रीमियम प्राप्त किया था। इसलिये बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिये कतई उत्तरदायी नहीं है और उससे आवेदकगण कोई भी क्षतिपूर्ति राशि कथित दुर्घटना दिनांक के संबंध में या मृतक संतोष के संबंध में प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिये उनके विरुद्ध आवेदन पत्र संव्यय निरस्त किया जावे।

10. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर उपरोक्त पांचों प्रकरणों में निम्न वाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

**प्र0क0-54/14 के वाद प्रश्न**

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1 क्या, दि.-16.03.12 को 12 बीघा तिराहा ग्राम खेरिया के पास थाना मौ जिला भिण्ड में अना0क0-1 के द्वारा अना0क0-2 के स्वामित्व के वाहन मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30जी-0633 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाते हुए दुर्घटनाकारित की जिसके फलस्वरूप संतोष कुशवाह की मृत्यु हुई?	प्रमाणित
2 क्या घटना के समय आवेदक उक्त मिनिट्रक में आ रहे अपने सामान की सुरक्षा हेतु बैठकर आ रहा था?	प्रमाणित
3 क्या, मृतक संतोष छः हजार रुपये मासिक आय अर्जित करता था?	अप्रमाणित
4 क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन मिनिट्रक बीमा पॉलिसी की एवं मोटरव्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव-	अप्रमाणित
5 क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हाँ तो किससे व कितना कितना?	आंशिक प्रमाणित कण्डिका-36 अनुसार
6 सहायता एवं व्यय?	कण्डिका-51 अनुसार

## प्र0क0-11/14 के वाद प्रश्न

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1 क्या, अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा दिनांक 16.03.12 को सुबह 9.50 बजे अनावेदक क्र0-2 के स्वामित्व के मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633 को बारह बीघा तिराहा ग्राम खेरिया के आगे मौ रोड पर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलटा दिया जिससे उसमें बैठे मृतक बलवंत व अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं?	प्रमाणित
2 क्या मृतक बलवंत की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप कारित हुई?	प्रमाणित
3 क्या मृतक बलवंत 9000/-रुपये मासिक आय अर्जित करता था?	अप्रमाणित
4 क्या आवेदकगण एवं अनावेदक क्र0-1 व 2 के मध्य दुरभि संधि है?	अप्रमाणित
5 क्या अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है? यदि हाँ तो प्रभाव?	अप्रमाणित
6 क्या आवेदकगण अनावेदकगण के संयुक्ततः एवं पृथक्ततः हुई क्षति की पूर्ति के ऐवज में कुल 19,70,000/-रुपये एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 17.10.12 से पूर्ण वसूली तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का पात्र है?	कण्डिका-39 अनुसार
7 सहायता एवं अन्य व्यय?	कण्डिका-50 अनुसार

## प्र0क0-08/14 के वाद प्रश्न

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1 क्या अनावेदक क्र0-1 द्वारा दिनांक 16.03.12 को सुबह 9.50 बजे अनावेदक क्र0-2 के स्वामित्व के मिनि ट्रक क्रमांक- एम0पी0-30जी-0633 को बारह बीघा तिराहा ग्राम खेरिया के आगे मौ रोड पर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलटा दिया जिससे उसमें बैठे आवेदक व अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं?	प्रमाणित
2 क्या आवेदक को पहुँची गंभीर चोटों के कारण से स्थाई विकलांगता उत्पन्न हुई?	अप्रमाणित
3 क्या आवेदक की 9000 रुपये मासिक आय थी जिसमें कमी आई है?	अप्रमाणित



4	क्या आवेदक के धनोपार्जन में आई कमी स्थाई है या अस्थायी?	अप्रमाणित
5	क्या आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक-1 व 2 के मध्य दुरभिसंधि है?	अप्रमाणित
6	क्या अनावेदक क्र0-1 व 2 द्वारा वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ तो प्रभाव?	अप्रमाणित
7	क्या आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्ततः हुई क्षति की पूर्ति के ऐवज में कुल 4,10,000/-रुपये एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 17.10.12 से पूर्णवसूली तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का पात्र है?	आंशिक प्रमाणित अधिनिर्णय कण्डिका-44 अनुसार
8	सहायता एवं अन्य व्यय?	कण्डिका-48 अनुसार

#### प्र0क्र0-10/14 के वाद प्रश्न

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1 क्या अनावेदक क्र0-1 द्वारा दिनांक 16.03.12 को सुबह 9.50 बजे अनावेदक क्र0-2 के स्वामित्व के मिनि ट्रक क्रमांक- एम0पी0-30जी-0633 को बारह बीघा तिराहा ग्राम खेरिया के आगे मौ रोड पर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलटा दिया जिससे उसमें बैठे आवेदक व अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं?	प्रमाणित
2 क्या आवेदक को पहुंची गंभीर चोटों के कारण से स्थाई विकलांगता उत्पन्न हुई?	अप्रमाणित
3 क्या आवेदक की 6000 रुपये मासिक आय थी जिसमें कमी आई है?	अप्रमाणित
4 क्या आवेदक के धनोपार्जन में आई कमी स्थाई है या अस्थायी?	अप्रमाणित
5 क्या आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक-1 व 2 के मध्य दुरभिसंधि है?	अप्रमाणित
6 क्या अनावेदक क्र0-1 व 2 द्वारा वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ तो प्रभाव?	अप्रमाणित
7 क्या आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्ततः हुई क्षति की पूर्ति के ऐवज में कुल 4,10,000/-रुपये एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 17.10.12 से पूर्ण वसूली तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का पात्र है?	आंशिक प्रमाणित अधिनिर्णय कण्डिका-47 अनुसार
8 सहायता एवं अन्य व्यय?	कण्डिका-48 अनुसार

## प्र0क0-09 / 14 के वाद प्रश्न

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1 क्या, अनावेदक क0-1 द्वारा दिनांक 16.02.12 को सुबह 9.50 बजे अनावेदक क्रमांक-2 के स्वामित्व के मिनिट्रक क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633 को बारह बीघा तिराहा ग्राम खेरिया के आगे मौ रोड पर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलटा दिया जिससे उसमें बैठे मृतक ज्ञानसिंह एवं अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं?	प्रमाणित
2 क्या मृतक ज्ञानसिंह की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप कारित हुई?	प्रमाणित
3 क्या, मृतक ज्ञानसिंह नौ हजार रुपये मासिक आय अर्जित करता था?	अप्रमाणित
4 क्या आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक-1 व 2 के मध्य दुरभि संधि है?	अप्रमाणित
5 क्या अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है? यदि हाँ तो प्रभाव	अप्रमाणित
6 क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्ततः हुई क्षति की पूर्ति के ऐवज में कुल 25,20,000/-रुपये एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 17.10.12 से पूर्ण वसूली तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का पात्र है?	आंशिक प्रमाणित अधिनियम कण्डिका-41 अनुसार
7 सहायता एवं अन्य व्यय?	कण्डिका-49 अनुसार

## —:- निष्कर्ष के आधार —:-

**नोट:-** उपरोक्त पांचौ क्लेम प्र0क0-54 / 14, 11 / 14, 08 / 14, 10 / 14, एवं 09 / 14 के एक ही दुर्घटना से उत्पन्न मामले होने से उनका समेकित करते हुए एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

## —:- वा द प्र श न क मां क-1 का निराकरण—:-

11. उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार आवेदकगण पर है। इस संबंध में प्र0क0-11 / 14 एवं 54 / 14 में परीक्षित आवेदक श्रीमती सुखदेवी आ0सा0-1, तथा प्र0क0-08 / 14 के आवेदक धर्मेन्द्र कुशवाह आ0सा0-1, प्र0क0-09 / 14 में आवेदक कलावती आ0सा0-1, प्र0क0-10 / 14 में आवेदक फूलसिंह आ0सा0-1 के द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में एक जैसी अभिसाक्ष्य देते हुए दुर्घटना के संबंध में मूलतः यह बताया गया है कि दिनांक 16.03.12 को सुबह करीब 9.50 बजे बलवंतसिंह, संतोषसिंह, ज्ञानसिंह, फूलसिंह, एवं धर्मेन्द्र कुशवाह सहित गांव के अन्य लोग करह बाबा मंदिर पर सेवा (भण्डारा) करके मिनिट्रक

क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633 में भण्डारे का बचा सामान व अपना अन्य सामान शक्कर, नमक की बोरियों आदि लेकर माल की सुरक्षा के लिये उसमें बैठकर आ रहे थे और जैसे ही मिनिट्रक 12 बीघा तिराहा ग्राम खेरिया के आगे मौ रोड़ पर आया तो वाहन चालक के ट्रक को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पलटा दिया जिससे ट्रक के नीचे वे दब गये और दब जाने से बलवंतसिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। संतोष की घटना के अगले दिन उपचार के दौरान मृत्यु हो गई और ज्ञानसिंह को आई चोटों के फलस्वरूप करीब दो माह पश्चात जब वह दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट रहा था तब रास्ते में मृत्यु हो गई और फूलसिंह व धर्मेन्द्र गंभीर रूप से घायल हुए। अन्य लोग भी घायल हुए थे। घटना में सात लोगों की मौके पर ही मृत्यु हुई थी।

12. सुखदेवी द्वारा इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि घटना कारित करने वाले ट्रक चालक के विरुद्ध थाना मौ में रिपोर्ट हुई थी जिसका आपराधिक प्रकरण चल रहा है और दुर्घटना में उसके पति बलवंत की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी थी। पुत्र संतोष का जे0ए0एच0 हॉस्पिटल में हुआ था जहाँ कुछ घण्टों के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके द्वारा आपराधिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र0पी0-1 लगायत 10 के रूप में प्र0क0-11/14 में प्रस्तुत की गई हैं। सुखदेवी ने यह बताया है कि घटना के समय वह ट्रक में नहीं थी और उसे यह जानकारी नहीं है कि ट्रक में कितने लोग सवार थे। उसे धर्मेन्द्र व फूलसिंह ने लौटकर ड्रायवर का नाम मनोज बताया था। घटना सुबह के समय घटित हुई थी। धर्मेन्द्र ने वाहन में दस बारह लोग बैठे होना बताये हैं जिनमें कुछ केबिन में बैठे थे। कुछ पीछे बैठे थे। और जो सामान भरा गया था उसमें शक्कर, आटा, बेसन, डालडा के टीन, गैस सिलैण्डर, बर्तन आदि थे। 14-15 बोरी शक्कर की, 4-5 बोरी आटे, बेसन की होंगी। वाहन चालक की तरफ पलटा था। सुखदेवी की तरह ही कलावती का भी अभिसाक्ष्य आया है।

13. इस संबंध में अभिलेख पर प्र0पी0-1 लगायत 10 के थाना मौ में दुर्घटना के संबंध में पंजीबद्ध हुए अप0क0-55/12 धारा-279, 337 एवं 304 ए भा0द0वि0 से संबंधित एफ0आई0आर0, नक्शामौका, जप्ती पत्रक तथा आरोपी मनोज की गिरफ्तारी का पत्रक एवं वाहन की मेकेनिकल जांच, सुपुर्दगीनामा तथा अभियोग पत्र के अवलोकन से और उसके संबंध में अनावेदकगण की ओर से खण्डन में कोई सुदृढ़ साक्ष्य न होने से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30जी-0633 बारह बीघा तिराहा ग्राम खेरिया के आगे मौ रोड़ पर पलट गया था जिसमें बलवंत, धर्मेन्द्र, संतोष, ज्ञानसिंह, व फूलसिंह सहित अन्य लोग बैठकर आ रहे थे और उसमें सामान भी था। जिस स्थान पर ट्रक पलटा वहाँ उसे ड्रायवर मनोज जाटव चला रहा था। बलवंत की मौके पर ही मृत्यु हो जाना भी उससे स्पष्ट होता है। दुर्घटना लोक स्थान की है।

14. प्र0पी0-1 लगायत 10 के दस्तावेजों से यह बिन्दु भी स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के समय उक्त वाहन का चालक अनावेदक क्रमांक-1 मनोज था और उसे पंजीकृत स्वामी की हैसियत से अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया है। अनावेदक क्रमांक-1 मनोज के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं को चालक होना बताया गया है तथा अनावेदक क्रमांक-2 वीरसिंह ने अपने अभिसाक्ष्य में उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना और अनावेदक क्रमांक-3 बीमा

कंपनी के यहाँ वाहन माल वाहक के रूप में बीमित होने की साक्ष्य दी है।

15. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से असिस्टेन्ट मैनेजर भाविन कारिया एवं इन्वेस्टिगेटर बृजेश मिश्रा अभिभाषक की साक्ष्य कराई गई है। जो अनावेदक क्रमांक-1 लगायत 4 के रूप में सभी प्रकरणों में परीक्षित हुए हैं और सभी में एक जैसी अभिसाक्ष्य दी है। बीमा कंपनी की ओर से बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का मूलतः आक्षेप किया गया है जिसके संबंध में पृथक से निर्मित वाद प्रश्न के विश्लेषण में निराकरण किया जावेगा। प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई अन्यथा स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि अनावेदक क्रमांक-1 मनोज के विरुद्ध वाहन उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलटा दिये जाने के संबंध में और उसमें बैठे लोगों में से कुछ की मृत्यु हो जाना और कुछ घायल होने के संबंध में आपराधिक मामला विचाराधीन है।

16. बीमा कंपनी की ओर से वाहन में 20-25 यात्रियों को ले जाये जाने की साक्ष्य दी गई है जिसका भी आगे विश्लेषण किया जावेगा। किन्तु वाहन पलटने से दुर्घटना घटित होने का खण्डन अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य मुताबिक नहीं हुआ है। और अनावेदक क्र०-1 व 2 की ओर से कोई ऐसा खण्डन नहीं किया गया है कि दुर्घटना घटित नहीं हुई। न्याय दृष्टांत न्यू इण्डिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध रामदीन 1983 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0 220 में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ दुर्घटना वाहन पलटने के फलस्वरूप घटित हुई हो, वहाँ स्वयं प्रमाण का सिद्धान्त लागू होता है। इस प्रकरण में भी वाहन अन्य किसी वाहन से नहीं टकराया बल्कि चलने के कारण दुर्घटना घटित हुई। ऐसे में वाहन चालक की उपेक्षा को प्रमाणित करने के लिये अन्य किसी साक्ष्य के प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है और इस आधार पर यह प्रमाणित माना जाता है कि दिनांक 16.03.12 के सुबह करीब 9.50 बजे मिनि ट्रक क्रमांक-एम0पी0-30जी-0633 को अनावेदक क्रमांक-1 वाहन चालक के रूप में चला रहा था जो बारह बीघा तिराहा ग्राम खेरिया के आगे मौ रोड़ पर पलटा दिया जिससे उसमें बैठे लोगों को चोटें आईं। फलतः सभी प्रकरणों में निर्मित वाद प्रश्न क्रमांक-1 प्रमाणित ठहराया जाकर आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

#### प्र०क०-08/14, 09/14, 10/14 एवं 11/14 में

#### निर्मित दुरभि संधि वाले वाद प्रश्न का निराकरण

17. उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी पर था जिसके संबंध में उपरोक्त सभी प्रकरणों में अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से असिस्टेन्ट मैनेजर भाविन कारिया अना0सा0-1 एवं बृजेश मिश्रा अना0सा0-4 की जो साक्ष्य कराई गई है उसमें इस बिन्दु पर कोई भी साक्ष्य नहीं दी गई है कि आवेदकगण ने अनावेदक क्रमांक-1 व 2 की किसी प्रकार की कोई दुरभि संधि है। हालांकि यह स्पष्ट है कि अनावेदक बीमा कंपनी को धारा-170 एम0व्ही0 एक्ट के अंतर्गत चाहे वह किसी भी रूप में पक्षकार बनाया गया हो, सभी बिन्दुओं पर विवाद उठा सकती है। जैसाकि न्याय दृष्टांत यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध शीलादत्ता ए 0आई0आर0 2012 एस0सी0 पेज-86 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये बीमा कंपनी सभी बिन्दुओं पर विवाद उठाने के लिये तो स्वतंत्र है किन्तु अभिलेख पर दुरभि संधि के बाबत कोई भी विश्वसनीय प्रमाण न होने से दुरभि संधि संबंधी वादप्रश्न अप्रमाणित निर्णीत किया जाता है।



**सभी प्रकरणों के बीमा पॉलिसी की शर्तों का  
उल्लंघन करने संबंधी वाद प्रश्न का निराकरण**

18. उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी पर है जिसके संबंध में सभी प्रकरणों में बीमा कंपनी की ओर से असिस्टेन्ट मैनेजर भाविन कारिया अना0सा0-1 व इन्वेस्टिगेटर बृजेशमिश्रा अना0सा0-4 का अभिसाक्ष्य कराया गया है। अनावेदक साक्षी क्रमांक-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालय इन्दौर में मैनेजर क्लेम के पद पर कार्यरत है। नया वाहन जिसका इंजिन नंबर-497S.P67A.X.Y.604593 एवं चैसिस नंबर-M.A.T.455212CAA03380 वाहन स्वामी वीरसिंह पुत्र भोगीराम के नामसे दिनांक 25.02.2012 से 24.02.13 के लिये मालवाहक यान के रूप में बीमित था। बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0-1 पेश करते हुए उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं। और यह कहा है कि बीमा पॉलिसी के अनुसार वाहन चालक सह चालक एवं हैल्पर सहित तीन लोगों की प्रीमियम ली गई थी। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति के लिये वाहन बीमित नहीं था। जो उक्त वाहन पर यात्रा करता और घटना दिनांक को उक्त वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत यात्रियों को भाड़ा लेकर बैठाकर किया जा रहा था। इसलिये पॉलिसी में वर्णित छः शर्तों के अनुरूप वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी के प्रतिकूल था। उसके पैरा-4 में यह भी बताया गया है कि बीमा करते समय बीमा पॉलिसी की शर्तों को मौखिक रूप से समझाया जाता है और घटना उसने नहीं देखी है। वह दस्तावेज के आधार पर शर्तों का उल्लंघन बता रहा है। उसका यह भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने माल के साथ माल की सुरक्षा हेतु बैठकर यात्रा करता है तो वह बीमा पॉलिसी में कवर होगा। तथा स्वतः में यह भी कहा है कि केवल एक ही व्यक्ति का आई0एम0टी0-37 के अंतर्गत प्रीमियम लिया है जिसमें चालक क्लीनर के अलावा माल की सुरक्षा के लिये एक अन्य व्यक्ति यात्रा कर सकता है। अन्य व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता है और दुर्घटना के समय उक्त वाहन में 25-30 लोग सवार थे।

19. इसी प्रकार का साक्ष्य बृजेश मिश्रा अना0सा0-4 द्वारा भी देते हुए दुर्घटनाकारी वाहन टाटा 407 क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0633 में 20-25 सवारियों को ले जाया जाना बताते हुए प्र0पी0-5 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करना बताता है। उक्त इन्वेस्टिगेटर को यह जानकारी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि माल वाहन में माल का भाड़ा अदा कर माल की सुरक्षा के लिये बैठकर यात्रा करता है तो बीमा कंपनी इस हेतु उत्तरदायी होती है और यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी जांच रिपोर्ट के समर्थन में उससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि घटना में घायल हुए फूलसिंह और धर्मेन्द्र तथा माल वाले विजय जैन व राजेन्द्र चौधरी के उसने जांच में कथन नहीं लिये थे। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि विजय जैन व राजेन्द्र चौधरी ने न्यायालय से अपना माल सुपुर्दगी में लिया है या नहीं। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि माल का स्वामी होने संबंधी कोई दस्तावेज था या नहीं। प्रकरण के जप्ती पत्रक व एफआईआर के आधार पर वह अपनी रिपोर्ट देना बताता है।

20. इस संबंध में अनावेदक क्र0-1 व 2 की ओर से दोनों ही अनावेदक स्वयं साक्ष्य में उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में उक्त वाहन का घटना दिनांक को वैध बीमा होना बताते हुए वाहन स्वामी वीरसिंह अना0सा0-3 ने प्र0डी0-4 की बीमा पॉलिसी

प्रस्तुत की है तथा अनावेदक क्र०-1 मनोज अना०सा०-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि उसके पास घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-एम०पी०-30जी-0633 को चलाने का वैध ड्रायविंग लायसेन्स था। जो उसने प्र०डी०-2 के रूप में पेश किया है। ड्रायविंग लायसेन्स आर०टी०ओ० कार्यालय उरई उत्तरप्रदेश से बनवाया जाना बताते हुए लायसेन्स दिनांक 17.11.11 से दिनांक 16.11.14 तक एल०एम०व्ही० ट्रान्स्पोर्ट वाहन चलाने के लिये वैध एवं प्रभावी होना कहा है और वीरसिंह ने बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन से इन्कार किया है। तथा वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त करना भी स्वीकार किया है।

21. इस संबंध में बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह कहा गया है कि बीमा कंपनी द्वारा जो बीमा किया गया था वह माल वाहक के रूप में था और उसमें केवल तीन लोगों का प्रीमियम लिया गया था जिसमें ड्रायवर, क्लीनर और एक हैल्पर का ही प्रीमियम लिया गया था इसलिये केवल तीन लोगों का रिस्क जोखिम कवर थी। तथा एफ०आई०आर० मुताबिक ही वाहन में 20-25 लोग यात्री के रूप में सवार थे। और भाड़ा लेकर उन्हें बैठाया गया था। इसलिये यात्री वाहन का वैध परमिट व बीमा नहीं था। न ही चालक के पास वाहन को चलाने का वैध ड्रायविंग लायसेन्स था इसलिये बीमा पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इसलिये बीमा कंपनी किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं है। और उक्त वाद प्रश्न बीमा कंपनी के पक्ष में निर्णीत कर उसके विरुद्ध सभी क्लेम याचिकाएँ निरस्त की जावें क्योंकि जो माल जप्ती पत्रक में बताया गया है वह अन्य व्यापारियों का था। जिन्हें सुपुर्दगी पर मिला है। जो लोग वाहन में यात्रा कर रहे थे उनका नहीं था।

22. इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया गया है कि दुर्घटना कारी वाहन टाटा 407 क्रमांक-एम०पी०-30जी-0633 माल वाहक के रूप में बीमित अवश्य था और उसे माल वाहक के रूप में ही उपयोग में घटना दिनांक को लाया जा रहा था। क्योंकि जो लोग करहबाबा मंदिर पर सेवा (भण्डारा) करने गये थे वह भण्डारा करके लौट रहे थे और जो भी सामान बचा था उसे वाहन में रखकर वापिस आ रहे थे जिसकी सुरक्षा के लिये वह बैठे थे तथा रास्ते में और भी माल उसमें लोड किया गया था। इसलिये वाहन का बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत उपयोग नपही हो रहा था तथा बीमा कंपनी की ओर से की गई आपत्ति बे-बुनियाद है। अतः उक्त वाद प्रश्न उनके पक्ष में और बीमा कंपनी के विरुद्ध निर्णीत किया जाये। जिसके संबंध में उन्होंने न्याय दृष्टांत भी पेश किये हैं जिनका आगे विश्लेषण किया जावेगा।

23. अनावेदक क्रमांक-1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी अपने तर्कों में आवेदक अधिवक्ता की तरह ही यह तर्क किया है कि वाहन का घटना दिनांक को वैध बीमा व परमिट था और चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स था। वाहन वैध रूप से पंजीकृत था और माल का स्वामी अपने माल की सुरक्षा के लिये वाहन में बैठ सकता था इसलिये बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं है।

24. सभी क्लेम याचिकाओं में जो साक्ष्य अभिलेख पर आई है और प्र०पी०-1 के रूप में थाना मौ में पंजीबद्ध हुए अप०क्र०-55/12 धारा-279, 337 एवं 304 ए भादवि की जो एफआईआर पंजीबद्ध हुई है उसमें मोटरयान अधिनियम 1988 के किसी प्रावधान के उल्लंघन का अपराध दर्ज नहीं किया गया है। एफआईआर के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि दिनांक 16.03.12 को वाहन टाटा 407 क्रमांक-एम०पी०-30जी-0633 जो कि बीमा पॉलिसी प्र०डी०-3 के मुताबिक मालवाहक वाहन था, वह घटना दिनांक को प्र०डी०-1 बीमा पॉलिसी जिसका कवर नोट प्र०डी०-4 है उसके मुताबिक माल वाहन के रूप में बीमित था।

25. एफआईआर प्र०पी०-1 के मुताबिक जो लोग दिनांक 15.03.12 को ग्राम चौरई

करहबाबा जिला मुरैना जेवा (भण्डारा) करने गये थे। उसमें 25-30 लोग शामिल थे और वे उक्त वाहन को लोडिंग के रूप में किराये से करके ले गये थे अर्थात् माल वाहक के रूप में ही उसका उपयोग किया गया था और उसी वाहन से वह अगले दिन दिनांक 16.03.12 को लौट रहा था तब रास्ते में चालक के द्वारा परचूनी का सामान मौ में अमायन के लिये भी उसके द्वारा भरा गया था। इससे भी वाहन का माल वाहक के रूप में ही उपयोग में लाया जाना प्रकट होता है और वाहन रास्ते में पलट गया। प्र0पी0-1 लगायत 10 के आपराधिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आया है कि वाहन में ओवर लोडिंग या अधिक भार होने से वाहन पलटा हो बल्कि चालक की उपेक्षा या उतावलेपन के कारण वाहन का पलटना बताया गया जिसमें मौके पर सात लोगों की मृत्यु होना और अनेक लोगों का घायल होना बताया गया जिसके संबंध में कोई अन्यथा साक्ष्य नहीं है।

26. इन्वेस्टिगेटर के रूप में बृजेश मिश्रा के द्वारा जो प्र0पी0-5 की रिपोर्ट दी गई है वह प्रमाणित नहीं हुई है क्योंकि उक्त इन्वेस्टिगेटर को यही जानकारी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि माल वाहन में माल भाड़ा अदा कर माल की सुरक्षा के लिये बैठकर यात्रा करता है तो बीमा कंपनी का उत्तरदायित्व होगा या नहीं होगा। उसे यह भी पता नहीं है कि माल के स्वामी के कौनसे दस्तावेज थे क्योंकि उसने अपनी जांच के दौरान घटना में आहत हुए लोगों तथा जिन लोगों का माल भरा गया था अर्थात् विजय जैन व राजेन्द्र चौहान को भी अपनी जांच में शामिल नहीं किया है इसलिये अनावेदक साक्षी बृजेश मिश्रा अना0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से प्र0डी0-5 का जांच प्रतिवेदन प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और उसकी साक्ष्य निर्बल है जिससे बीमा कंपनी के पक्ष में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि उसके पक्ष में बीमा कंपनी के मैनेजर क्लेम अना0सा0-1 भाविन कारिया द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने माल के साथ माल की सुरक्षा हेतु बैठकर यात्रा करता है तब बीमा पॉलिसी में रिस्क कवर होगी। लेकिन वह एक व्यक्ति तक रिस्क कवर बताता है।

27. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाकारी उक्त वाहन में 20-25 लोग बैठे हुए थे लेकिन अभिलेख पर अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से कोई ऐसी साक्ष्य पेश नहीं हुई है जो यह साबित कर सके कि जो लोग वाहन में बैठकर यात्रा कर रहे थे उनके यात्रा करने का कोई भाड़ा वाहन स्वामी या वाहन चालक को दिया हो बल्कि एफ0आई0आर0 से माल का भाड़ा दिया जाना परिलक्षित होता है। आवेदक साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे यात्री के रूप में उनसे भाड़ा लिया गया हो। तथा अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से या अन्य अनावेदकगण में से किसी की ओर से भी ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि घटना में हुए मृतक एवं आहत अपने माल के साथ मालिक की हैसियत से यात्रा नहीं कर रहे थे। इस संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-147 के प्रावधान मुताबिक बीमाकर्ता पर सांविधिक दायित्व विहित है क्योंकि मोटरयान अधिनियम की उक्त धारा ऐसे व्यक्ति के दायित्व को अन्तर्ग्रस्त करती है जो माल के मालिक के रूप में माल वाहन में यात्रा कर रहा हो।

28. इस संबंध में न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बलजीत कौर एवं अन्य 2004 ए0सी0जे0 428** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है जिसमें सन् 1994 में जोड़े गये संशोधन की व्याख्या की गई है और उक्त प्रावधान में हुए संशोधन अनुसार माल के मालिक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जो वाहन में ले जाया जा रहा हो, को शामिल करते हुए बीमाकर्ता के लिये वाहन के मालिक का दायित्व बतलाया गया है। उक्त संशोधन के आधार पर माल के मालिक स्वयं, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिनियम



की धारा-147 में प्रयुक्त **कोई व्यक्ति** शब्दों के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्ति आयेंगे जो किसी की भी हैसियत से माल वाहन में यात्रा कर रहे थे। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **कन्धी उर्फ कन्हैया लाल साहू एवं अन्य विरुद्ध गोविन्दसिंह ध्रुवे एवं अन्य 2004 (द्वितीय) दु0मु0प्र0 328 (एम0पी0)** के मामले में भी इस बिन्दु को विस्तृत रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर वर्णित न्याय दृष्टांत के अनुक्रम में व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि सन् 1994 में संशोधन के बावजूद भी धारा-147 में अन्तर्विष्ट उपबंधों का प्रभाव माल के मालिक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न व्यक्ति के संबंध में ही है क्योंकि विधायिका का यह आशय नहीं था कि वह बीमाकर्ता के दायित्व का उपबंध यात्रियों के संबंध में, विशेष रूप से ऐसे निःशुल्क यात्रियों के संबंध में करे जो न तो उस समय अनुभूत थे जब बीमा की संविदा की गई थी और न ही किसी प्रीमियम का संदाय जनता की इस कोटि की बीमा के लाभ की हद तक किया था। अर्थात् उक्त न्याय दृष्टांत में इसी माल वाहन में बीमा पॉलिसी के निर्बंधनों में जाकर संख्या से अधिक लोगों को ले जाये जाने के भंग के आधार पर क्षतिपूर्ति के दायित्व से बीमाकर्ता इन्कार नहीं कर सकता है क्योंकि अधिक संख्या को मूलभूत रूप से शर्तों के भंग की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है और उससे संविदा की समाप्ति नहीं हो सकती है। जब तक कि ऐसा कोई योगदायी कारक न दिखाई देता हो।

29. हस्तगत मामले में भी यह सही है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक तीन लोगों का जोखिम कवर किया गया है और दुर्घटनाकारी वाहन में इससे अधिक संख्या में लोग सवार थे। किन्तु कोई भी सवार व्यक्ति अनुग्रहयात्री के रूप में यात्रा करना प्रमाणित नहीं है बल्कि इस साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है कि वाहन में वह अपने माल की सुरक्षा के लिये ही बैठे थे इसलिये बीमा कंपनी अपने दायित्व से इन्कार नहीं कर सकती है और इस आधार पर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। यह अवश्य है कि अधिक संख्या के आधार पर बीमा कंपनी वाहन स्वामी और चालक समान रूप से क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी होंगे क्योंकि उक्त न्याय दृष्टांत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यात्रियों की बड़ी संख्या सुसंगत नहीं होती है और उसके आधार पर दायित्व से नहीं बचा जा सकता है।

30. उपरोक्त प्रकरणों में मृत व्यक्ति एवं आहत व्यक्तियों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य से वे अपने माल की सुरक्षा (**owner of the goods**) के लिये या माल के स्वामी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में ही यात्रा करना परिलक्षित होते हैं। इसलिये मृतक और आहत की स्थिति तृतीय पक्ष की होगी और उसके लिये क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व के लिये वाहन स्वामी चालक और बीमा कंपनी उत्तरदायी होंगे। उपर वर्णित बलजीत वाले न्याय दृष्टांत के अलावा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किये गये अन्य न्याय दृष्टांत **जुगल किशोर एवं अन्य विरुद्ध रामलेशदेवी एवं अन्य 2004 ए 0सी0जे0 पेज-297(एम0पी0)** तथा **प्रमोद कुमार अग्रवाल एवं अन्य विरुद्ध मुश्तैरी बेगम एवं अन्य 2004 ए0सी0जे0 पेज-1903 (सुप्रीम कोर्ट)** एवं **कन्हैयालाल विरुद्ध कमलेशसिंह एवं अन्य 2010 ए0सी0जे0 पेज-364 एम0पी0** तथा **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध के0एम0 पूनम एवं अन्य एम0ए0सी0डी0 2011 (एस0सी0) पेज 51** पेश किये गये हैं। इन सभी मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धारा-147 के संदर्भ में बीमा कंपनी के उत्तरदायित्व को निर्धारित करते हुए इस आशय के मार्गदर्शन दिये हैं कि बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी है और वह वाहन स्वामी के द्वारा अधिक लोगों की प्रीमियम न दिये जाने के आधार पर आवेदकगण अर्थात् मृतक और



आहतगण को पहले क्षतिपूर्ति के लिये दायी होगी। बाद में वह वाहन स्वामी और चालक से निष्पादन कार्यवाही करके राशि वसूल सकती है। उसके लिये उसे अलग से दावा करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् उक्त न्याय दृष्टांतों में **recovery of right** की व्याख्या बीमा पॉलिसी के भंग के आधार पर की गई है।

31. इस तरह से उपरोक्त सभी प्रकरणों में यह निर्धारित किया जाता है कि मृतक/आहत दुर्घटना दिनांक 16.03.12 को माल वाहन टाटा 407 क्रमांक-एम0पी0-30जी-0633 में माल के स्वामी की हैसियत से यात्रा कर रहे थे। इसलिये वे क्षतिपूर्ति राशि सर्वप्रथम बीमा कंपनी से पाने के पात्र होंगे। बीमा कंपनी क्षमता से अधिक यात्रियों के वाहन में होने के आधार पर वाहन स्वामी और चालक से अर्वार्ड दिनांक से 30 दिन की अवधि व्यतीत होने के पश्चात राशि वसूल सकती है।

32. जहाँ तक वैध ड्रायविंग लायसेन्स का प्रश्न है, उसके संबंध में अनावेदक क्रमांक-1 मनोज द्वारा स्वयं की साक्ष्य दी गई है और ड्रायविंग लायसेन्स को भी प्र0डी0-2 के रूप में पेश किया गया है जो माल वाहन के लिये है और दिनांक 17.11.11 से दिनांक 16.11.14 तक के लिये वह वैध और प्रभावी था इसलिये ड्रायविंग लायसेन्स के संबंध में जो बीमा कंपनी द्वारा आपत्ति ली गई है वह निराधार हो जाती है और उसके संबंध में अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत दोनों साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं। फलतः उक्त वाद प्रश्न आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत कर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि सर्वप्रथम बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी है जो वह वाहन स्वामी और वाहन चालक से निष्पादन कार्यवाही करके वसूल करेगी।

**उपरोक्त समस्त पांचों प्रकरणों में पृथक पृथक निर्मित किये गये वाद प्रश्नों का प्रकरण भार समेकित करते हुए विश्लेषण और निराकरण**

33. प्र0क0-54/14 में मृतक संतोष की दुर्घटना में हुई मृत्यु के ऐवज में उसकी माँ एवं बहन की ओर से वैध वारिस होने के आधार पर कुल 16,90,000/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि एवं उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की गई है जिसके संबंध में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत सुखदेवी आ0सा0-1 जो कि मृतक की माँ है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि उसका पुत्र मृतक संतोष 15 वर्ष का हष्ट पुष्ट स्वस्थ व्यक्ति था और मजदूरी करता था और छः हजार रुपये मासिक आय प्राप्त करता था और उन पर व्यय करता था। तथा दुर्घटना में चोटिल होने पर उसके जीवन को बचाने के लिये उपचार भी कराया गया था जिसमें करीब पचास हजार रुपये खर्च हुए थे। अंतिम संस्कार व क्रियाकर्म पर एक लाख रुपये खर्च हुए थे तथा यदि वह जीवित रहता तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनता और सेवा सुषुर्षा देखभाल करके उन्हें पुत्र सुख प्राप्त होता। उसकी अकाल मृत्यु से उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और घोर क्षति हुई है।

34. आवेदकगण की ओर से प्र0पी0-1 लगायत 10 के आपराधिक मामले से संबंधित प्रकरण क्रमांक-11/14 में पेश करने के अलावा मृतक संतोष का इस प्रकरण में प्र0पी0-11 एम0एल0सी0 रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-1, प्र0पी0-12 लाश पंचायतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्र0पी0-13 मृत्यु पश्चात हुए शव परीक्षण प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। तथा उपरोक्त वर्णित विश्लेषण अनुसार एक ही घटना में आई चोटों के फलस्वरूप संतोष की मृत्यु होना प्रमाणित होता है क्योंकि शव परीक्षण प्रतिवेदन आपराधिक मामले में भी पेश हुआ है जिससे संतोष की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप चोटों के कारण होना प्रमाणित होती है। उसका दुर्घटना के पश्चात दिनांक

16.03.12 एवं 17.03.12 को जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर में उपचार हुआ है। उपचार संबंधी खर्च के बिल प्र0पी0-14 लगायत 21 पेश किये गये हैं जिसके अनुसार संतोष के इलाज में 5,656/-रुपये खर्च किये गये हैं। अवयस्क की मृत्यु की दशा में क्षतिपूर्ति के लिये न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा विरुद्ध देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए0सी0जे0 पेज-1298** आवेदकगण के विरुद्ध विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार ऐसा अवयस्क व्यक्ति जो पन्द्रह वर्ष तक की आयु का हो और उसकी कोई स्वयं की आय न हो तो 20 के गुणक का प्रावधान किया गया है।

35. अभिलेख पर मृतक संतोष का छः हजार रुपये मासिक मजदूरी से आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु उसका कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है और पन्द्रह वर्षीय बालक को कठोर श्रम वाली मजदूरी करना उपबंधित नहीं किया जा सकता है। आय के प्रमाण के अभाव में और शव परीक्षण प्रतिवेदन मुताबिक मृतक पन्द्रह वर्षीय बालिग होने को दृष्टिगत रखते हुए उसकी वार्षिक प्रतीकारात्मक आय (**notional income**) पन्द्रह हजार रुपये आंकलित की जावेगी। जैसा कि न्याय दृष्टांत **मंजूदेवी विरुद्ध मुसाफिर 2005 ए0सी0जे0 पेज-99 एस0सी0** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये उक्त प्रकरण में भी उक्त न्याय दृष्टांत के आधार पर मृतक संतोष की वार्षिक आय पन्द्र हजार रुपये आंकलित की जाती है। उसके वारिसान में माँ एवं अवयस्क बहिन की शेष है। ऐसे में एक तिहाई राशि स्वयं पर व्यय करना आंकलित की जावेगी। इस आधार पर पन्द्रह हजार रुपये वार्षिक प्रतीकारात्मक आय में से एक तिहाई घटाने पर शुद्ध वार्षिक आय दस हजार रुपये बनती है। जिस पर बीस का गुणक लगाये जाने पर 2,00,000/-रुपये भविष्य की क्षति के मद में दिलाया जाना एवं उसके अंतिम संस्कार एवं परिजनों सहित शारीरिक, मानसिक पीड़ा, स्नेह की कमी आदि शेष अन्य मदों में एकमुश्त 40,000/-रुपये आंशिक रूप से याचिका स्वीकार कर दिलाया जाना उचित होगा।

36. इस तरह से मृतक संतोष की दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप उक्त प्रकरण क्रमांक-54/14 में आवेदकगण अनावेदकगण से कुल क्षतिपूर्ति राशि **2,40,000/-रुपये (दो लाख चालीस हजार रुपये)** एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से पूर्ण अदायगी तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पाने की पात्रता रखना प्रमाणित ठहराते हुए उक्त प्रकरण के बाद प्रश्न क्रमांक-2, 3 एवं 5का आवेदकगण के पक्ष में निराकरण किया जाता है।

37. **प्रकरण क्रमांक-11/14** में मृतक बलवंत की दुर्घटना में हुई मृत्यु के आधार पर उसके वारिसान जिसमें उसकी पत्नी एवं पुत्र व पुत्री वैध उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने कुल 19,70,000/-रुपये एवं उस पर पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज आवेदन दिनांक से चाहा है जिसके संबंध में मृतक की पत्नी श्रीमती सुखदेवी आ0सा0-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में उपर वर्णित प्रमाणित तथ्यों के अलावा क्षतिपूर्ति के आंकलन के संबंध में इस आशय की साक्ष्य दी है कि उसके पति बलवंत 40 वर्षीय हृष्ट पुष्ट स्वस्थ और अत्यंत मेहनती व्यक्ति होकर मकान बनाने के कारीगर के रूप में कार्य करता था और नौ हजार रुपये मासिक आय अर्जित करता था जो उन्हें लाकर देता था और उन पर व्यय करता था। तथा उनका भरणपोषण व जीवन निर्वाह उससे होता था। जो कम से कम सत्तर वर्ष की आयु तक जीवित रहकर उन्हें प्यार, स्नेह, दाम्पत्य सुख, संरक्षण, बच्चों की परवरिश, पढ़ाई इत्यादि का ख्याल रखता जिसकी अकाल मृत्यु के कारण वह उससे वंचित हो गये हैं तथा उनकी संतानों के उपर से पिता का साया उठ गया है। उनके यहाँ बच्चों की शादी व्याह आदि के लिये अब कोई व्यक्ति नहीं है। जो दस्तावेज पेश किये

गये हैं उसके मुताबिक बलवंत की मृत्यु घटनास्थल पर ही हुई है और उसके शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0-7 अनुसार मृतक की आयु दुर्घटना के समय 46 वर्ष बताई गई है जिसका कोई खण्डन नहीं है। ऐसे में उपरोक्त वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **landmark judgement सरला वर्मा वाले** प्रकरण के आधार पर 46 वर्ष की आयु के अनुसार 12 का गुणक अनुज्ञेय होगा तथा मृतक के आश्रितों में पत्नी और दो बच्चे तीन सदस्य होने से मृतक यदि जीवित रहता तो वह अपनी आय का 1/3 भाग स्वयं पर खर्च करता।

38. जहाँ तक मृतक बलवंत की मासिक आय नौ हजार रुपये बताई गई है, उसके संबंध में न तो कोई दस्तावेजी प्रमाण है न ही सुखदेवी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस संबंध में साक्ष्य में पेश किया गया है जो यह प्रमाणित करे कि मृतक बलवंत कारीगरी का काम करता था और नौ हजार रुपये मासिक कमा सकता था। इसके अलावा में उसकी प्रतीकारात्मक आय(notional income) तीन हजार रुपये मासिक आंकलित की जावेगी जिसका एक तिहाई स्वयं पर व्यय करना मानते हुए शुद्ध मासिक आय दो हजार रुपये के आधार पर वार्षिक आय चौबीस हजार रुपये बनती है जिसमें बारह का गुणक अनुज्ञेय करने पर भविष्य की हानि के मद में 2,88,000/-रुपये (दो लाख अठासी हजार रुपये) क्षतिपूर्ति राशि आंकलित होती है। तथा बलवंत शादीशुदा था उसकी पत्नी और बच्चे थे। ऐसे में सहचर्य की हानि निश्चित तौर पर आवेदिका श्रीमती सुखदेवी को हुई है और सहचर्य की हानि (consortium) के संदर्भ में उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टांत सरला वर्मा के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **राजेश उर्फ राजवीर (2013) 9 एस0सी0सी0 पेज-54** की कण्डिका-20 में सहचर्य की हानि के शीर्ष में कम से कम एक लाख रुपये अवॉर्ड किये जाने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि सहचर्य (consortium) पति पत्नी का एक ऐसा अधिकार है जो संगति, परवाह, आराम, सुख चैन, सहायता, मार्गदर्शन, सात्वना, स्नेह और लैंगिक संबंधों से संबंधित है इसलिये उक्त मामले में भी सहचर्य की हानि के लिये एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाना एवं अंतिम संस्कार क्रियाकर्म के मद में पच्चीस हजार रुपये की राशि उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर दिलाया जाना उचित पाया जाता है।

39. इस तरह मृतक बलवंत की दुर्घटना में मृत्यु के ऐवज में बतौर क्षतिपूर्ति उक्त प्रकरण के आवेदकगण कुल **4,13,000/-रुपये (चार लाख तेरह हजार रुपये)** एवं उस पर छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज आवेदन प्रस्तुति दिनांक से पूर्ण अदायगी तक प्राप्त करने के अधिकारी होना पाते हुए वाद प्रश्न क्रमांक-2, 3 एवं 6 का आवेदकगण के पक्ष में निराकरण किया जाता है।

40. **प्र0क0-09/14** में मृतक ज्ञानसिंह की दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के कारण इलाज के पश्चात हुई मृत्यु के आधार पर उसके वारिसान पत्नी एवं पुत्रगण द्वारा 25,20,000/-रुपये एवं उस पर पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज आवेदन दिनांक से बतौर क्षतिपूर्ति दिया गया है जिसके संबंध में अभिलेख पर मृतक की पत्नी श्रीमती कलादेवी आ0सा0-1 की ओर से अपने अभिसाक्ष्य में उपर वर्णित अन्य तथ्यों के अलावा क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि उक्त दुर्घटना में उसके पति मृतक ज्ञानसिंह कुशवाह को गंभीर चोटें आई थीं जिसका सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार शासकीय अस्पताल मौ में हुआ था। उसके बाद उसे जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया था जहाँ उचित देखभाल न होने के कारण दूसरे दिन प्राईवेट मैस्कॉट अस्पताल ग्वालियर में भर्ती किया गया था और ज्ञानसिंह कोमा में रहा था।



दिनांक 17.03.12 से 09.04.12 तक वह निरंतर भर्ती रहा। स्थिति में सुधार न होने पर पुनः जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर में रिफर किया गया था। जहाँ कोमा की स्थिति में ही उसका कुछ दिन इलाज हुआ फिर भी स्थिति में कोई सुधार न होने पर उसे दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल के लिये रिफर किया गया था। जहाँ पर दिनांक 07.05.12 से 16.05.12 तक भर्ती रहा था किन्तु कोई सुधार न होने से दिनांक 16.05.12 को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था और दिल्ली से ग्वालियर लाते समय मुरैना के पास उसकी मृत्यु हो गयी थी। मृतक ज्ञानसिंह के इलाज में करीब पांच लाख रुपये व्यय करना पड़े थे। अंतिम संस्कार क्रियाकर्म में पचास हजार रुपये व्यय हुए थे जिसके संबंध में आपराधिक प्रकरण से संबंधित प्र0पी0-1 लगायत 10 के दस्तावेजों के अलावा प्र0पी0-11 लगायत 21 तक इलाज संबंधी दस्तावेज, प्र0पी0-22 मृतक का शव परीक्षण प्रतिवेदन है। शव परीक्षण प्रतिवेदन मुताबिक मृतक ज्ञानसिंह की मृत्यु के समय उम्र 48 वर्ष बतलाई गई है जिसका कोई खण्डन नहीं है और प्र0पी0-23 लगायत प्र0पी0-260 उसके इलाज के दौरान हुए व्यय की राशि के दस्तावेज हैं जो मूल रूप से पेश किये गये हैं और उनके संबंध में कोई भी खण्डन साक्ष्य अनावेदकगण की ओर से पेश नहीं की गई है। इसलिये चिकित्सक के अभिसाक्ष्य के वगैर भी उन्हें वास्तविक बिल की श्रेणी में माना जावेगा तथा कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज नहीं कहे जा सकते हैं।

41. अतः उक्त प्र0पी0-11 लगायत 260 के दस्तावेजों से दुर्घटना के पश्चात से मृत्यु दिनांक 16.05.12 तक उसका निरंतर उपचाररत होना प्रमाणित होता है। उपचार के दौरान प्रस्तुत किये गये बिल और रसीदों के आधार पर कुल व्यय राशि 3,54,965/- रुपये बनती है और दस्तावेजों का खण्डन न होने से वह राशि इलाज के मद में उक्त प्रकरण के आवेदकगण अनावेदकगण से बतौर क्षतिपूर्ति पाने के पात्र हो जाते हैं और अनावेदकगण का औपचारिक रूप से ही सभी प्रकरणों की भांति इस प्रकरण में भी खण्डन आया है। लेकिन मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आवेदकगण की इस बिन्दु पर विश्वसनीय पाई जाती है। क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु उक्त प्रकरण में भी **न्याय दृष्टांत सरला वर्मा** में दी गई सारिणी अनुसार 46 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में बारह का गुणक बताया गया है। इस प्रकरण में भी मृतक की मासिक आय नौ हजार रुपये होने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण न होने से और मजदूर पेशा व्यक्ति होने से उसकी मासिक प्रतीकारात्मक आय (**notional income**) तीन हजार रुपये ही आंकलित होगी। तथा उसके वारिसान में पत्नी, बच्चे कुल चार सदस्य हैं। इसलिये यह माना जायेगा कि यदि मृतक जीवित रहता तो वह उक्त अर्जित आय में से  $1/4$  स्वयं पर व्यय करता। जिसके आधार पर यदि गणना की जाये तो प्रतीकारात्मक आय तीन हजार रुपये में से  $1/4$  भाग घटाने पर शुद्ध मासिक आय 2250/- रुपये बनती है। और वार्षिक आय 27,000/- रुपये बनती है जिसमें 12 का गुणक अनुज्ञेय करने पर भविष्य की क्षति के मद में 3,24,000/- रुपये की राशि आंकलित होगी। तथा इलाज के मद में प्र0पी0-23 लगायत 260 के आधार पर 3,54,965/- रुपये एवं सहचर्य की हानि आवेदक क्रमांक-1 कलावती को होने से उक्त मद में उपर वर्णित न्याय दृष्टांत राजेश विरुद्ध राजवीर के आधार पर एक लाख रुपये एवं अंतिम संस्कार क्रियाकर्म के मद में 25,000/- रुपये आवेदन आंशिक रूपसे स्वीकार कर दिलाये जाना उचित व आवश्यक प्रतीत होते हैं। इस हिसाब से मृतक ज्ञानसिंह की दुर्घटना में हुई मृत्यु के ऐवज में उसके वारिसान उक्त प्रकरण के आवेदकगण कुल क्षतिपूर्ति राशि **8,03,965/- रुपये (आठ लाख तीन हजार नौ सौ पैंसठ रुपये)** एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के पात्र पाये जाते हैं। अतः उक्त अनुसार उक्त प्रकरण के वाद प्रश्न क्रमांक-2, 3 और 6



का आवेदकगण के पक्ष में निराकरण किया जाता है।

42. **प्र0क0- 08/14** के प्रकरण में आवेदक धर्मेन्द्र जो कि घटना में आहत बताया गया है उसने अ0सा0-1 के रूप में दिये अभिसाक्ष्य में मूलतः क्षतिपूर्ति के संदर्भ में इस आशय की अभिसाक्ष्य दी है कि उक्त दुर्घटना में उसे चोटें आई थीं जिसमें उसके दांये हाथ के पंजे के उपर की हड्डी में और दाहिने पैर के घुटने में फ्रैक्चर हो गया था तथा मुंहके उपर के दो दांत टूट गये थे। दांयी आंख के उपर व शरीर के अन्य भागों में भी चोटें आई थीं और उसे गंभीर चोटें भी आई थीं। चोटों के कारण उसके शरीर में स्थाई विकलांगता आ गई है। तथा वह दुर्घटना में आई फ्रैक्चर की चोटों के कारण दिनांक 16.03.12 से 22.03.12 तक निरंतर भर्ती रहकर उपचाररत रहा था। उसे प्लास्टर भी चढ़ाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट भी हुई थीं। इलाज से आराम न मिलने पर दिनांक 21.04.12 को उसने मेस्कॉट हॉस्पिटल ग्वालियर में भी इलाज कराया था। इलाज में उसे काफी महंगी दवाईयों का खर्च वहन करना पड़ा था। इलाज में दवाओं व विशेष भोजन आदि पर उसने करीब एक लाख रुपये खर्च किये थे। फ्रैक्चर के कारण वह चलने फिरने दौड़ भाग करने, साईकलिंग करने और भारी काम करने से वह हमेशा के लिये असमर्थ हो गया है। और वह तीस वर्षीय नौजवान होकर स्वस्थ हष्टपुष्ट होकर मकान बनाने के कारीगर के रूप में काम करके नौ हजार रुपये मासिक आय अर्जित करता था। इस आधार पर उसने कुल 4,10,000/-रुपये एवं पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की है।

43. उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि प्र0पी0-1 लगायत 10 के आपराधिक प्रकरणों के दस्तावेजों के अलावा उसके द्वारा इलाज संबंधी अन्य दस्तावेजों में जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर का डिस्चार्ज टिकट प्र0पी0-11, प्रवेश पत्र प्र0पी0-12, मेस्कॉट हॉस्पिटल ग्वालियर का इलाज का पर्चा प्र0पी0-13, इलाज में दवाईयों के बिल प्र0पी0-14 एवं 15 एवं सी0टी0 स्केन रिपोर्ट प्र0पी0-15 को पेश किया है। प्र0पी0-11 के मुताबिक वह दिनांक 16.03.12 से 22.03.12 तक जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर में भर्ती रहा है। मेस्कॉट हॉस्पिटल में भी उसके द्वारा इलाज कराये जाना प्र0पी0-13 एवं 15 से खण्डन के अभाव में प्रमाणित होता है। उसके द्वारा उपचार में व्यय की गई राशि के बिल प्र0पी0-14 एवं 15 पेश किये गये हैं जिसके अनुसार कुल 420/-रुपये उसके खर्च होना बताये गये हैं। जिनका खण्डन न होने से उक्त इलाज की राशि वह पाने का पात्र है। उसके मामले में भी नौ हजार रुपये मासिक आय अर्जित करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मजदूर पेशा व्यक्ति है। अभिलेख पर इस आशय की कोई ठोस एवं विश्वसनीय और चिकित्सीय राय से समर्थित कोई साक्ष्य नहीं है कि चोटों के कारण वह शारीरिक रूप से कमजोर होकर धनोपार्जन की कमी का शिकार हुआ है या उसके शरीर में कोई सावधि या स्थाई निःशक्तता आई है इसलिये जो राशि उसके द्वारा चाही गई है वह उसे प्राप्त करने का पात्र नहीं है। किन्तु एक सप्ताह उसके द्वारा भर्ती रहकर उपचार लिया गया है उसके बावजूद भी उसके द्वारा उपचार कराया जाना प्र0पी0-11 लगायत 15 से स्पष्ट होता है। उपचार के दौरान निश्चित तौर पर विशेष आहार लेना पड़ा होगा तथा दवाईयों में भी कुछ राशि व्यय करना पड़ी होगी। इस दौरान मजदूरी न कर पाने से उसे आय की क्षति भी होना अनुमानित किया जा सकता है। तथा चोटों के कारण उसे शारीरिक पीड़ा व मानसिक वेदना भी झेलना पड़ी, यह उपधारित किया जा सकता है।

44. अतः उपरोक्त समस्त बिन्दुओं को मददेनजर रखते हुए आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर दुर्घटना में घायल होकर और अस्थिभंजन से चोटिल होने के आधार पर उक्त आवेदक धर्मेन्द्र एकमुश्त रूप से कुल **10,000 रुपये (दस हजार रुपये)** क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र होना पाया जाता है। तथा उक्त राशि पर वह आवेदन दिनांक से छः

प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने का पात्र पाया जाकर वाद प्रश्न क्रमांक-2 लगायत 4 एवं 7 को उसके पक्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित पाया जाता है।

45. **प्र0क0- 10/14** के प्रकरण में आवेदक फूलसिंह जो कि घटना में आहत बताया गया है उसने अ0सा0-1 के रूप में दिये अभिसाक्ष्य में मूलतः क्षतिपूर्ति के संदर्भ में इस आशय की अभिसाक्ष्य दी है कि उक्त दुर्घटना में उसे चोटें आई थीं जिसमें उसके दांये हाथ के पंजे के उपर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था तथा फटा घाव हो गया था। दाहिने तरफ की पसलियों एवं सिर में व शरीर में अन्य भागों में चोटें आई थी। चोटों के कारण उसके शरीर में स्थाई विकलांगता आ गई है। तथा वह दुर्घटना में आई फ्रैक्चर की चोटों के कारण दिनांक 16.03.12 से 22.03.12 तक निरंतर भर्ती रहकर उपचाररत रहा था। उसे प्लास्टर भी चढ़ाया गया था। व मंहगे मंहगे इन्जैक्शन व दवाईयों उसे दी गई थीं जो उसके परिवारीजनों द्वारा कय की गई। इलाज में उसे काफी मंहगी दवाईयों का खर्च वहन करना पड़ा था। इलाज में दवाओं व विशेष भोजन आदि पर उसने करीब एक लाख रुपये खर्च किये थे। फ्रैक्चर के कारण वह उक्त हाथ से किसी भी प्रकार का कोई वजन आदि नहीं उठा पाता है वह हमेशा के लिये वजन उठाने में असमर्थ हो गया है। और वह पचास वर्षीय होकर स्वस्थ हृष्टपुष्ट होकर मकान बनाने के मजदूर के रूप में काम करके छः हजार रुपये मासिक आय अर्जित करता था। इस आधार पर उसने कुल 4,10,000/-रुपये एवं पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की है।

46. उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि प्र0पी0-1 लगायत 10 के आपराधिक प्रकरणों के दस्तावेजों के अलावा उसके द्वारा इलाज संबंधी अन्य दस्तावेजों में एम0एल0सी0 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-11, तथा इलाज के पर्च प्र0पी0-12 लगायत 21 तक इलाज के पर्चे एवं प्र0पी0-22 लगायत 28 तक दवाओं के पर्चे पेश किये हैं। जो खण्डन के अभाव में प्रमाणित होते हैं। उसके द्वारा उपचार में व्यय की गई राशि के बिल प्र0पी0-14 एवं 15 पेश किये गये हैं जिसके अनुसार कुल 1310/-रुपये उसके खर्च होना बताये गये हैं। जिनका खण्डन न होने से उक्त इलाज की राशि वह पाने का पात्र है। उसके मामले में भी छः हजार रुपये मासिक आय अर्जित करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मजदूर पेशा व्यक्ति है। अभिलेख पर इस आशय की कोई ठोस एवं विश्वसनीय और चिकित्सीय राय से समर्थित कोई साक्ष्य नहीं है कि चोटों के कारण वह शारीरिक रूप से कमजोर होकर धनोपार्जन की कमी का शिकार हुआ है या उसके शरीर में कोई सावधि या स्थाई निःशक्तता आई है इसलिये जो राशि उसके द्वारा चाही गई है वह उसे प्राप्त करने का पात्र नहीं है। किन्तु उसके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय दस्तावेजों से उसका अस्पताल में भर्ती रहकर उपचार कराया जाना स्पष्ट होता है। उपचार के दौरान निश्चित तौर पर विशेष आहार लेना पड़ा होगा तथा दवाईयों में भी कुछ राशि व्यय करना पड़ी होगी। इस दौरान मजदूरी न कर पाने से उसे आय की क्षति भी होना अनुमानित किया जा सकता है। तथा चोटों के कारण उसे शारीरिक पीड़ा व मानसिक वेदना भी झेलना पड़ी, यह उपधारित किया जा सकता है।

47. अतः उपरोक्त समस्त बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर दुर्घटना में घायल होकर और अस्थिभंगन से चोटिल होने के आधार पर उक्त आवेदक धर्मेन्द्र एकमुश्त रूप से कुल **10,000 रुपये (दस हजार रुपये)** क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र होना पाया जाता है। तथा उक्त राशि पर वह आवेदन दिनांक से छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने का पात्र पाया जाकर वाद प्रश्न क्रमांक-2 लगायत 4 एवं 7 को उसके पक्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित पाया जाता है।

**उपरोक्त पांचों प्रकरणों में सहायता एवं वाद व्यय संबंधित**  
**वाद प्रश्न का विश्लेषण एवं निराकरण**

48. उपरोक्त समग्र विवेचना के आधार पर प्र0क0-08/14 का आवेदक धर्मेन्द्र और प्र0क0-10/14 का आवेदक फूलसिंह अधिनिर्णय की कण्डिका क्रमशः 44 एवं 47 के अनुसार 10,000रूपये (दस हजार रूपये)– 10,000रूपये (दस हजार रूपये) एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अनावेदकगण से प्राप्त करने के पात्र हैं जो राशि सर्वप्रथम अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी आवेदकगण को एकमुश्त किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करें।

49. प्र0क0-09/14 के आवेदकगण अधिनिर्णय की कण्डिका- 41 अनुसार मृतक ज्ञानसिंह के लिये क्षतिपूर्ति राशि कुल 8,03,965/–रूपये (आठ लाख तीन हजार नौ सौ पैसठ रूपये) एवं उस पर छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसमें से आवेदिका कलावती के नाम 1,03,965/–रूपये (एक लाख तीन हजार नौ सौ पैसठ रूपये) राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे। शेष राशि सात लाख में से आवेदिका श्रीमती कलावती के नाम से 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की एफ0डी0 तीन वर्ष के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा की जावे। और आवेदक क्रमांक-2 लगायत 4 के नाम से 2,00,000–2,00,000 रूपये(दो दो लाख रूपये) ब्याज की राशि को जोड़ते हुए एफ0डी0 तीन तीन वर्ष के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा कर भुगतान की जावे।

50. प्र0क0-11/14 में मृतक बलवंत की मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिये अधिनिर्णय की कण्डिका-39 के अनुसार उसके वारिसान आवेदकगण 4,13,000/–रूपये (चार लाख तेरह हजार रूपये) एवं उस पर छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पाने के अधिकारी हैं जिसमें से मृतक की पत्नी सुखदेवी को 1,13,000/–रूपये (एक लाख तेरह हजार रूपये) राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे। शेष 3,00,000/–रूपये (तीन लाख रूपये) एवं छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर उक्त राशि मृतक के पुत्र एवं पुत्री आवेदक क्रमांक-2 व 3 जो कि मृत्यु के समय अवयस्क थे, उनके नाम से डेढ़-डेढ़ लाख रूपये की एफ0डी0 तीन तीन साल के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा कर भुगतान की जावे।

51. प्र0क0-54/14 में मृतक संतोष संतोष की मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिये अधिनिर्णय की कण्डिका-36 के अनुसार उसके वारिसान आवेदकगण 2,40,000/–रूपये (दो लाख चालीस हजार रूपये) एवं उस पर छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पाने के अधिकारी हैं। दोनों आवेदकगण सुखदेवी और कुमारी पूजा के नाम 1,20,000/–रूपये (एक लाख बीस हजार रूपये) एवं 1,20,000/–रूपये (एक लाख बीस हजार रूपये) की पांच वर्ष के लिये ब्याज की राशि को जोड़ते हुए एफ0डी0 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जावे।

52. उपरोक्त प्रकरणों में यदि अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि किसी आवेदक को अनावेदकगण में से किसी के द्वारा भुगतान की गई हो तो वह अवॉर्ड राशि में समायोजित की जावे।

53. उपरोक्तानुसार एफ0डी0 के माध्यम से जमाशुदा राशियों का इस अधिकरण की

अनुमति के बिना परिपक्वता के पूर्व भुगतान न किया जावे। एफ0डी0आर0 का ब्याज उसी में परिपक्व होने पर जोड़कर भुगतान किया जावे।

54. उक्त समस्त प्रकरणों की अर्बोर्ड राशि के भुगतान का प्रथम भार अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी पर होगा जो अधिनिर्णय मुताबिक आवेदकगण को उक्त राशि भुगतान करे। उसके पश्चात वह अनावेदक क्रमांक-1 व 2 से अधिनिर्णय की कण्डिका-31 के आधार पर विधिवत निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से वसूल सकेगा।

55. अनावेदकगण आवेदकगण के उपरोक्त प्रकरणों का व्यय भी स्वयं के व्यय के साथ साथ संयुक्ततः व पृथक्ततः वहन करेंगे। जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या राशि मुताबिक जो कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका निर्मित की जावे।

दिनांक: **12 फरवरी-2016**

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)